न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 5/2022 ई.रे.

1– मिट्ठूलाल पिता केला सरगड़ा नि. चान्द्राखेडी तहसील बडीसादडी
2– सोहनलाल पिता केला सरगड़ा नि. चान्द्राखेडी तहसील बड़ीसादड़ी

––प्रार्थीगण

बनाम

1– भंवरलाल दत्तक पुत्र चम्पालाल सरगड़ा नि. चान्द्राखेड़ी तहसील बडीसादड़ी
2– प्रबंधक, ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा सांगरिया तहसील बडीसादडी
3– राज. सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 48, 49 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 05/02/2026**

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1– मौजा चान्द्राखेड़ी की खाता संख्या नया 142 की आराजी नं. 568 रकबा 0.1300 हैक्ट. लगान 0.65 रूपया वादीगण के खातेदारी की होकर वादीगण के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। जमाबंदी हाल सम्वत् 2076–79 पेश है जिसे वादीगण प्रतिवादी नं. 1 के खातेदारी में दर्ज कराना चाहते है तथा उक्त आराजी पर कब्जा भी प्रतिवादी नं. 1 का होकर प्रतिवादी उक्त आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है तथा सरकारी लगान वादीगण अदा कर रहे है किन्तु फसल आमद पैदावार प्रतिवादी निर्बाध रूप से ले रहा है इसलिए वादीगण उक्त आराजी नं. 568 को प्रतिवादी नं. 1 श्री भंवरलाल के नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी होकर उक्त आराजी का विनिमय करने हेतु उक्त वाद पत्र पेश किया जा रहा है।

2– मौजा चान्द्राखेड़ी तहसील बडीसादडी की खाता सं. नया 96 की आराजी खसरा सं. 567 रकबा 0.1300 है. लगान 0.65 रूपया प्रतिवादी के खाते में दर्ज है तथा सरकारी लगान प्रतिवादी ही अदा कर रहा है लेकिन उक्त आराजी पर कब्जा, उपयोग, उपभोग फसल पैदावार आमद वादीगण संयुक्त रूप से ले रहे है इसलिए प्रतिवादी उक्त आराजी नं. 567 का विनिमय करना चाहता है तथा वादीगण के नाम पर उक्त आराजी दर्ज किया जाना न्यायोचित है जिसके लिए यह वाद पत्र पेश किया जाना उचित हो गया है।

3– उक्त वाद पत्र की कलम सं. 1 व 2 में वर्णित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादी ने कई वर्षो पूर्व आदान प्रदान कर लिया था तथा वादीगण आराजी नं. 567 पर काबिज है तथा प्रतिवादी नं. 1 आराजी नं. 568 पर काबिज होकर फसल पैदावार उपज लेते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में उक्त आराजी नं. 567 प्रतिवादी नं. 1 के नाम पर दर्ज है तथा आराजी नं. 568 वादीगण के नाम पर दर्ज है जिसका राजस्व रिकोर्ड में विनिमय किया जाना उचित है ।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

4– उक्त प्रकरण में वादीगण ने अभी हाल ही में करीब एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादी नं. 1 को उक्त आराजी के विनिमय कराने बाबत कहा तथा एक दूसरे के नाम पर उक्त आराजी नं. को अपने अपने नाम पर कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ने मना कर दिया तब से विवाद ओर बढ गया है। प्रतिवादी सं. 1 गांव में ही रहता है जो हमारी आराजीयात को हडपना चाहता है इसलिए राजस्व रिकोर्ड मे आराजी नं. 568 हम वादीगण की प्रतिवादी नं. 1 के नाम पर दर्ज करायी जावे एवं आराजी नं. 567 प्रतिवादी नं. 1 के खातेदारी में दर्ज है जिसे हम वादीगण के नाम पर दर्ज कराये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश है।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे।

वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित आराजी नं. 568 रकबा 0.1300 है. लगान 0.65 रूपया वादीगण के नाम पर दर्ज है जिसे प्रतिवादी नं. 1 के नाम पर दर्ज करायी जावे तथा आराजी नं. 567 रकबा 0.1300 है. लगान 0.65 रूपया जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है उसे वादीगण के नाम पर दर्ज कराये जाने की डिक्री पारित की जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण/विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्यवादी में मिठूलाल का शपथ पत्र पेश हुआ।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में जो विनिमय की भूमि है वह पास–पास नहीं है। तथा प्रतिवादी भी विनिमय के लिए सहमत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस भी असल नहीं है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी • बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) • सत्यमेव जयते